इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 587]   भोपाल, गुरुवार, दिनांक 29 दिसम्बर 2011—पौष 8, शक 1933

लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2011

क्र. एफ 23-12-2004-सा-उन्नीस.—भारतीय पथकर अधिनियम, 1851 (1851 का 8) की धारा 2 के सहपठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, देवास जिले में बी.ओ.टी. योजनांतर्गत निर्मित देवास बॉयपास मार्ग के निर्माण एवं रख-रखाव हेतु मेसर्स अशोका इन्फ्रावे प्रायवेट लिमिटेड तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग देवास के मध्य हुये अनुबंधानुसार पथकर उदग्रहण की अनुमति प्रदान करता है. एतद्द्वारा निवेशकर्ता मेसर्स अशोका इन्फ्रावे प्रायवेट लिमिटेड रीवर व्यू नासिक अथवा उनके अधिकृत एजेंट इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-23-4-2000-जी-उन्नीस, दिनांक 27 जनवरी 2000 की द्वितीय अनुसूची के अनुसार पथकर उदग्रहण हेतु अधिकृत किये जाते हैं. द्वितीय अनुसूची एवं प्रभावशील दरें निम्नानुसार हैं:—

द्वितीय अनुसूची

अनु-क्रमांक	वाहन का प्रकार	दिनांक 1-4-2012 से 17-2-2015 तक पथकर की प्रभावशील दरें (रुपयों में)
(1)	(2)	(3)
1	टेम्पो, टैक्सी, मिनी बस, खाली या भरे हुए स्टेशन बैंगन या मेटाडोर या उसी प्रकार के वाहन.	49.00
2	प्रायवेट कार,जीप, पिक अप	30.00
3	खाली ट्रक, भरी या खाली बस	71.00
4	भरा ट्रक	109.00
5	मल्टी एक्सल ट्रक या ट्रेलर	146.00
6	अर्थमूविंग मशीनरी (प्रति टन)	14.00

2. किसी एक वाहन पर टोल प्लाजा से 24 घण्टे में (अर्थात् 6.00 बजे प्रात: से दूसरी दिनांक 6.00 बजे तक) केवल एक बार पथकर लिया जावेगा.

3. यह अधिसूचना केवल बायपास पथ के किलोमीटर 11 पर स्थित टोल प्लाजा के लिए प्रभावशील होगी.

4. इस मार्ग का एवं अनुबंध में उल्लेखित अन्य मार्गों का रख-रखाव अनुबंध के प्रावधान अनुसार तथा इस विभाग के पत्र क्रमांक एफ-23-12-2004-सा-19, दिनांक 22 मई 2004 में निहित निर्देशानुसार किया जावेगा.

5. अधिसूचना में उल्लेखित मार्गों पर राज्य शासन द्वारा पथकर के भुगतान से छूट प्राप्त वाहनों की सूची अनुबंध में संलग्न तृतीय सूची (प्रपत्र-3) अनुसार होगी.

6. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल 2012 से प्रभावशील होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2011

पृ. क्र. एफ 23-12-2004-सा-उन्नीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अंतर्गत इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23-12-2004-सा-उन्नीस, का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, उपसचिव.

Bhopal, the 29th December 2011

No.F-23-12-2004-G-XIX.—In exercise of the powers, conferred by Section-2, read with Section-4 of the Indian Toll Act, 1851 (No. VIII of 1851) in its application in the State of Madhya Pradesh, the State Government is pleased to grant sanction for levying toll for construction of Dewas By-pass and its Maintenance as per agreement drawn between M/s Ashoka Infraway Pvt. Ltd. and the Executive Engineer PWD, Division Dewas under B.O.T. Scheme. The entrepreneur M/s Ashoka Infraway Ltd., River View, Nasik or their authorized agent is hereby authorized to levy Toll Tax on the said road in accordance with the provisions contained in the Government's Notification No. F-23-4-2000-G-XIX, Bhopal dated 27th January 2000 under second schedule. The Second Schedule and the applicable toll rates are as follows:—

SECOND SCHEDULE

S. No. (1)	Description of Vehicle (2)	Retes of toll levied w.e.f. 01-04-2012 to 17-02-2015 (In Rs.) (3)
1	Tempo, Taxi, Mini Bus, Loaded or empty station wagon or Matador or equivalent vehicle.	49.00
2	Private Car, Jeep, Pickup	30.00
3	Empty Truck, Loaded or Empty Bus	71.00
4	Turck Loaded	109.00
5	Multi-axel Truck or Trailer	146.00
6	Earth Moving Machinery (Per tonne)	14.00

2. The Toll shall be levied only once in 24 hours (i. e.from 6 AM till 6 AM of the next day) at the toll plaza from one vehicle.

3. This notification is applicable only for the toll plaza situated in Km. 11 of the Bypass.

4. Maintenance of this road and other roads as specified in the agreement will be done in accordance with the provision of the agreement and the department's Endt. No. F-23-12-2004-G 17, Bhopal dated 22nd May 2004.

5. List showing vehicles exempted from payment of toll by the State Government, while crossing the said road will be as per the 3rd schedule annexed with the agreement.

6. This notification shall come into force with effect from 1st April 2012.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
J. K. JAIN, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.